डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शके 1923

भाग २

स्थानीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया, जिला कोरिया

कोरिया, दिनांक 15 मार्च, 2001

क्रमांक 223.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) (अ) के अधीन नीचे अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् चिरमिरी क्षेत्र की सीमाओं में सम्मिलित करने बाबत् अधिसूचना क्रमांक 1583 दिनांक 15-6-99 का प्रकाशन दिनांक 16-6-99 को हुआ हैं, एवं अधिसूचना 432/99 दिनांक 11-11-99 जिसका प्रकाशन दिनांक 11-11-99 को हुआ है. तथा अधिसूचना क्रमांक 1300/2000 दिनांक 4-11-2000 जिसका प्रकाशन दिनांक 17-11-2000 को हुआ है. और उसमें उल्लेखित कालावधि का अवसान पूर्ण हो चुका है. उक्त कालावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

एतद्द्वारा आदेशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (क) (अ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे अनुसूची-1 में वर्णित क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् चिरमिरी की सीमा के भीतर सम्मिलित किया जाता है तथा नगरपालिका चिरमिरी की चतुर्दिशा अनुसची-2 में वर्णित अनुसार निर्धारित किया जाता है :—

अनुसूची (1)

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम का नाम एवं हल्का नं. (4)		क्षेत्र का विवरण (5)
1.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	केराडोल	प. ह. नं.-16	संपूर्ण क्षेत्र
2.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	खुरसिया	प. ह. नं.-16	संपूर्ण क्षेत्र
3.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	चित्ताझोर	प. ह. नं.-16	संपूर्ण क्षेत्र
4.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	साजापहाड़	वन ग्राम	संपूर्ण क्षेत्र

अनुसूची (2)

मध्यप्रदेश स्थानीय शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 26 एफ-3-1-18-3-95 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27-5-95 अनुसार नगरपालिका चिरमिरी क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र के साथ उपरोक्त क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् संशोधित सीमा एवं उसकी चतुर्दिशा :—

1. एन.सी.पी.एच.कालरी (हल्दीवाड़ी क्षेत्र) : संपूर्ण माइनिंग एरिया (13.60 वर्ग किमी. क्षेत्र)

उत्तर : वेस्ट चिरमिरी कालरी एवं ग्राम चित्ताझोर पोड़ी की सीमा तक.

दक्षिण : कुरासिया कालरी की सीमा एवं चिरमिरी कालरी की सीमा तक.

पूर्व : नार्थ चिरमिरी (गेल्हापानी) कालरी की सीमा तक.

पश्चिम : साजापहाड़ की सीमा तक.

2. कुरासिया कालरी : संपूर्ण माइनिंग एरिया (10.65 वर्ग किमी. क्षेत्र) जिसमें ग्राम भुकभुकी की खसरा क्रमांक 1 से 44 एवं 282 तक सम्मिलित है.

उत्तर : एन.सी.पी.एच. कालरी की सीमा तक.

दक्षिण : राजस्व ग्राम भुकभुकी की सीमा तक.

पूर्व : डोमनहील कालरी की सीमा तक.

पश्चिम : चिरमिरी कालरी की सीमा तक.

3. चिरमिरी कालरी : संपूर्ण माइनिंग एरिया (बड़ाबाजार, छोटाबाजार, टिकरापारा एवं बरतुंगा कालरी सहित) 13.35 वर्ग किमी. जिसमें भण्डारदेई आंशिक रूप से सम्मिलित है.

उत्तर : एन. सी. पी. एच. कालरी सीमा तक.

दक्षिण : राजस्व ग्राम भण्डारदेई सीमा तक.

पूर्व : कुरासिया कालरी की सीमा तक.

पश्चिम : आरक्षित वन.

4. डोमन कालरी : संपूर्ण माइनिंग एरिया (9.21 वर्ग किमी. क्षेत्र)

उत्तर : नार्थ चिरमिरी (गेल्हापानी कालरी) सीमा तक.
दक्षिण : आरक्षित वन.
पूर्व : आरक्षित वन.
पश्चिम : कुरासिया कालरी की सीमा तक.

5. नार्थ चिरमिरी (गेल्हापानी कालरी) : संपूर्ण माइनिंग एरिया (7.77 वर्ग किमी. क्षेत्र)

उत्तर : कोरिया कालरी की सीमा तक
दक्षिण : डोमनहील कालरी की सीमा तक
पूर्व : आरिक्षत वन
पश्चिम : एन.सी.पी.एच. कालरी की सीमा तक.

6. कोरिया कालरी : संपूर्ण माइनिंग एरिया (5.80 वर्ग किमी. क्षेत्र)

उत्तर : आरिक्षत वन.
दक्षिण : गेल्हापानी (नार्थ चिरमिरी कालरी) की सीमा तक.
पूर्व : आरक्षित वन.
पश्चिम : वेस्ट चिरमिरी कालरी की सीमा तक.

7. वेस्ट चिरमिरी कालरी : संपूर्ण माइनिंग एरिया (7.25 वर्ग किमी. क्षेत्र)

उत्तर : आरक्षित वन.
दक्षिण : एन. सी. पी .एच. कालरी एवं नार्थ चिरमिरी कालरी की सीमा तक.
पूर्व : कोरिया कालरी की सीमा तक.
पश्चिम : ग्राम चित्ताझोर की सीमा तक.

8. ग्राम केराडोल : प.ह.नं. 16 (0.9149 वर्ग किमी.)संपूर्ण क्षेत्र राजस्व

उत्तर : खसरा क्र. 1/2, 1/3, 1/4, 2/9, 7/14, 5/3, 4/2 एवं 5/1 तथा ग्राम चित्ताझोर की परिसीमा तक.
दक्षिण : खसरा क्रमांक 27, 28, 29 तथा आरक्षित वन सीमा तक.
पूर्व : खसरा क्रमांक 5/9, 7/1, 7/3 एवं 29/1 तथा आरक्षित वन सीमा तक.
पश्चिम : खसरा क्रमांक 1/1, 2/2, 2/6 एवं आरक्षित वन सीमा तक.

9. ग्राम खुरसिया (संपूर्ण ग्राम) : संपूर्ण ग्राम क्षेत्र.

उत्तर : सरकारी जंगल सीमा तक.
दक्षिण : खसरा क्रमांक 49,50 एवं 51 तथा सरकारी जंगल सीमा तक.

पूर्व : खसरा क्रमांक 67, 77 तथा सरकारी जंगल सीमा तक.

पश्चिम : खसरा क्रमांक 2, 19, 21, 22, 23, 30, 31 एवं 34 तथा जंगल सीमा तक.

10. ग्राम चित्ताझोर : संपूर्ण राजस्व ग्राम प. ह. नं. 16 के अंतर्गत.

उत्तर : खसरा नं. 16/1, 1, 2, 3, 4, 46/1, 66, 134, 136, 142 एवं 143 तक.

दक्षिण : खसरा नं. 24, 25, 56, 57/1, 57/5, 47/6, 57/8, 82, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 268 तक.

पूर्व : खसरा नं. 145, 146, 142, 158, 157, 162, 166, 167 169, 174, 269, 264, 265, 261 एवं 268 तक.

पश्चिम : खसरा नं. 1, 15, 16/1, 22, 23, 24, 25 एवं 55,56 तक.

11. साजापहाड़ ग्राम : संपूर्ण वन ग्राम साजापहाड़.

कुरासिया कालरी के सरफेस राईट एरिया के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम भुकभुकी का आंशिक भाग जिसका खसरा क्रमांक 1, 2/1क, 2/1 ख, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1क, 18/1ख, 18/1ग, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 36/1, 36/2,36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 37, 38, 39, 40/1, 282/1, 287.

चिरमिरी कालरी के सरफेस राईट एरिया के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम भण्डारदेई का आंशिक भाग जिसका खसरा क्रमांक–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 48,49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/7, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 107, 108/1, 108/2क, 108/2ख, 108/3,109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122,123, 124, 125, 126, 127, तक.

इस तरह नगरपालिका चिरमिरी की चतुर्दिशा निम्नानुसार है :—

उत्तर : राजस्व ग्राम चित्ताझोर प.ह.नं. 16 का संपूर्ण क्षेत्र वेस्ट चिरमिरी पोंड़ी कालरी एवं कोरिया कालरी जिसमें राजस्व ग्राम खुरसिया–प.ह.नं. 16 का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है तथा वन सीमा तक.

दक्षिण : चिरमिरी कालरी का बरतुंगा कालरी जो ग्राम भण्डार-देई में स्थित है जिसका खसरा क्रमांक 1 से 127 तक है से लेकर कुरासिया कालरी के अंतर्गत ग्राम भुकभुकी का आंशिक भाग जिसका खसरा क्रमांक 1 से 44 एवं 282 तक है. तथा डोमनहील कालरी की 9.21 वर्ग किमी. की सीमा एवं वन सीमा तक.

पूर्व : कोरिया कालरी की सीमा से लेकर गेल्हापानी कालरी वन सीमा तक एवं डोमनहील कालरी वन सीमा तक.

पश्चिम : ग्राम साजापहाड़ वन ग्राम का संपूर्ण भाग, चिरमिरी कालरी की ओपन कास्ट माइन्स होते हुये ग्राम भण्डारदेई के खसरा क्रमांक 1 से 27 तक एवं बरतुंगा पहाड़ सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

Korea, the 15th March 2001

No. 223.—Notification No. 1583 dated 15th June, 1999 which is published on 16th June, 1999, Notification No. 432/99 dated 11-11-99 which is published on 13-11-99 and Notification No. 1300/2000 dated 04-11-2000 is published on 17-11-2000 under Section 5(a) (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) to include the areas specified in the schedule below within the limits of Nagarpalika Parishad, Chirimiri and the period specified therein for objection has expired. No. objections were received within the aforesaid period.

In exercise of the powers conferred by Section 5(a) (3) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 by oder hereby following areas specified in the schedule I below are included within the boundaries of Nagarpalika CHIRIMIRI and notifies their limits as specified in schedule-II

SCHEDULE-I

S. No. (1)	District (2)	Tahsil (3)	Name of Village (4)	Halka No. (5)	Description of Area (6)
1.	Korea	Baikunthpur	Keradol	H. No. 16	Whole Area
2.	Korea	Baikunthpur	Khurasia	H. No. 17	Whole Area
3.	Korea	Baikunthpur	Chittajhore	H. No. 18	Whole Area
4.	Korea	Manendragarh	Sajapahad	(Forest Villege)	Whole Area

SCHEDULE-II

According to Gazette Notification No. 26-F-3-1-18-3-95 published on date 27th May 1995 following areas have been included within the limits of Municipality, Chirimiri area. Now after inclusion of the above village areas the revised boundaries of the Municipality, Chirimiri will be as follows :—

1. N.C.P.H. Colliery (Haldibadi area) : whole mining area (13.60 Sqm. Km.)

boundaries on

North : the boundaries of West Chirimiri Colliery and Vill. Chittajhore.

South : Boundaries of Kurasia Colliery and Chirimiri Colliery.

East : Boundaries of North Chirimiri (Gelhapani) Colliery.

West : Upto Sajapahad hills.

2.	Kurasia Colliery		:	Whole mining area (10.65 Sq. Km.) including a part of Bhukbhuki village (under surface right area) Khasra No. 1 to 44, and 282.
	boundaries on	North	:	Boundaries of NCPH Colliery.
		South	:	Boundaries of Bhukbhuki village upto forest area.
		East	:	Boundaries of Dumanhill Colliery.
		West	:	Boundaries of Chirimiri Colliery.
3.	Chirimiri Colliery (Bada Bazar, Chhotta Bazar, Tikarapara & Bartunga).		:	Whole mining area (13.35 Sq. Km.) including a part of Bhanderdai Village (under surface right area).
		North	:	Boundaries of NCPCH Colliery.
		South	:	Boundaries of Bhanderdai Village.
		East	:	Boundaries of Kurasia Colliery.
		West	:	Boundaries of Reserve Forest.
4.	Dumanhill Colliery			Whole mining area (9.21 Sq. Km.)
		North	:	Boundaries of North Chirimiri Colliery.
		South	:	Boundaries of Reserve Forest.
		East	:	Boundaries of Reserve Forest.
		West	:	Boundaries of Kurasia Colliery.
5.	North Chirimiri Colliery (Gelhapani)			Whole mining area (7.77 Sq. Km.) Boundaries of Korea Colliery.
		North	:	Boundaries of Korea Colliery.
		South	:	Boundaries of Dumanhill Colliery.
		East	:	Boundaries of Reserve Forest.
		West	:	Boundaries of NCPH Colliery.
6.	Korea Colliery		:	Whole mining area (5.80 Sq. Km.)
		North	:	Boundaries of Reserve Forest.
		South	:	Boundaries of Gelhapani Colliery.
		East	:	Boundaries of Reserve Forest.
		West	:	Boundaries of west Chirimiri Colliery.
7.	West Chirimiri Colliery		:	Whole mining area (7.25 Sq. Km.)
		North	:	Boundaries of NCPH and Gelhapani Colliery.
		South	:	Boundaries of Reserve Forest.
		East	:	Boundaries of Korea Colliery.
		West	:	Boundaries of Chittajhore Village.
8.	Keradol Village		:	Patwari Halka No. 16 (0.9149 Sq. Km.)
		North	:	Kh. No. 1/2, 1/3, 1/4, 2/9, 7/14, 5/13, 4/2 and 5/1 upto limits of Chittajhore Village.
		South	:	Kh. No. 27, 28, 29 upto reserve forest.
		East	:	Kh. No. 5/9, 7/1, 7/3 and 29/1 upto reserve forest
		West	:	Kh. No . 1/1, 2/2, 2/6 and upto reserve forest.

9.	Khursia Village		:	Whole village area (1.2751 Sq. Km.)
	boundaries on	North	:	Boundaries of Reserve Forest.
		South	:	Kh. No. 49, 50, 51 upto reserve forest.
		East	:	Kh. No. 67 to 77 and upto limits of reserve forest.
		West	:	Kh. No. 2, 19, 21, 22, 23, 30, 31 and upto limits of reserve forest.
10.	Chittajhore Village		:	Whole Revenue village area Patwari Halka No.16
	boundaries on	North	:	Kh. No. 16/1, 1, 2, 3, 4, 46/1, 66, 134, 136 and upto 143.
		South	:	Kh. No. 24, 25, 56, 57/1, 57/5, 47/6, 57/8, 82, 104, 105, 106. 108, 109, 110 and upto 268.
		East	:	Kh. No. 145, 146, 142, 158, 157, 162, 166, 167, 169, 174, 269, 264, 265, 251 and upto 268.
		West	:	Kh. No. 1, 15, 16/1, 22, 23, 24, 25, 55 and upto 56.
11.	Sajapahad Forest village		:	Whole forest Village Sajapahad.

1. The part area of Bhukbhuki village included in the surface right area of kurasia Colliery area : Khasra No. 1, 2/1(K), 2/1 (Kh), 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 83, 8/4, 9 to 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1 (K), 18/1 (Kh), 18/1 (g), 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 23 to 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 37, 38, 39, 40/1, 282/1, 287.

2. The part area of Bhanderdei village included in the surface right area of Chirimiri Colliery area : Kharsa No. 1 to 12, 13/1, 13/2, 14 to 43, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72 to 76, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2, 90 to 104, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 106, 107, 108/1, 108/2(K), 108/2(Kh), 108/3, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122, 123 to 127.

Thus the boundaries of Municipal Council, Chirimiri area are given below :—

On the North	:	From Village Chittajhore Halka No. 16 to West Chirimiri Colliery and Korea Colliery including Revenue Village Khursia Halka No.16 and upto reserve forest.
On the South	:	From Bartunga Colliery which is in Revenue Village Bhanderdei Khasra No. 1 to 127 to Kurasia Colliery and Bhukbhuki village khasra No. 1 to 44 and 282 and Dumanhill Colliery and upto reserve forest.
On the East	:	From Korea Colliery to Gelhapani Colliery and Dumanhill Colliery and upto forest area.
On the West	:	Whole Firest Village of Sajapahad to Chirimiri Colliery open cast mines upto Bhanderdei village Khasra No. 1 to 127 and upto Bartunga hills.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKASHSHIL, Collector and Dy. Secretary.

कार्यालय, कलेक्टर, दन्तेवाड़ा, जिला दन्तेवाड़ा
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 अप्रैल, 2001

क्रमांक/1638/न.पं./2001.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-अठारह-3-99 दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यक्ष जिला योजना समिति एवं प्रभारी मंत्री जिला दन्तेवाड़ा द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत स्वीकृति दिए जाने के फलस्वरूप नगर पंचायत दन्तेवाड़ा की सीमा में राजस्व ग्राम आंवराभाटा, [illegible]तियाररास एवं पातररास को सम्मिलित कर वार्ड क्रमांक 1,2,3,5,6 7 एवं 9 की सीमा निम्नानुसार पुनर्निर्धारित की जाती है.

वार्ड क्रमांक-1 : डॉ. अम्बेडकर वार्ड

दक्षिण : नगर पंचायत की पश्चिमी सीमा तथा दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु पर स्थित बांगाबाड़ी पुलिया तक.

पश्चिम : नगर पंचायत की पश्चिमी सीमा बांगाबाड़ी के पुलिया से शंकनी नदी के किनारे होते हुए गणेश नगर को मिलाते हुए नारी निकेतन या एवं जनपद पंचायत कार्यालय को शामिल करते हुए नदी के किनारे-किनारे नजूल बस्ती को मिलाते हुए श्रीमती जयंती बाई के मकान तक.

उत्तर : जगदलपुर-बैलाडीला मार्ग तथा ट्रायबल कॉलोनी रोड के मिलान बिन्दु से नारी-निकेतन के बाजू से होते हुए नगर पंचायत की पश्चिमी सीमा पर स्थित श्रीमती जंयती बाई के मकान को लेते हुए शंकनी नदी तक.

पूर्व : दक्षिणी सीमा पर स्थित बांगाबाड़ी पुलिया से मुख्य सड़क के किनारे होते हुए गणेश नगर एवं जनपद पंचायत कार्यालय को लेते हुए डी.डी. पाण्डेय के मकान को मिलाते हुए रोड के किनारे स्थित सभी मकानों, ट्रायबल स्कूल, कन्या छात्रावास होते हुए ट्रायबल रोड एवं मेन रोड के उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक.

वार्ड क्रमांक-2 : महात्मा गांधी वार्ड

दक्षिण : मेन रोड बैलाडीला-जगदलपुर मार्ग पर स्थित रूकमणी कन्या आश्रम से लेकर नारी-निकेतन कार्यालय के बाजू से उईके के मकान को लेते हुए नजूल बस्ती में स्थित ए. के. जोध के मकान तथा नदी को पार करते हुए उपजेल को मिलाते हुए श्री गोपाल राम कन्नौज के मकान को लेकर नगर पंचायत की पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु तक.

पश्चिम : नगर पंचायत के दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु पर श्री गोपाल राम कन्नौज के मकान को लेते हुए सड़क के दोनों तरफ स्थित मकानों तथा आंगनबाड़ी, प्राथमिक शाला को लेते हुए श्री देवनाथ के मकान को शामिल करते हुए फरसपाल रोड के किनारे स्थित हरिश नागेश के मकान तक.

उत्तर : हरिश नागेश के मकान से महतू के मकान को शामिल करते हुए फरसपाल रोड पर स्थित पुल को पार करते हुए जगदलपुर बैलाडीला के मिलान बिन्दु तक.

पूर्व : फरसपाल बैलाडीला के मिलान बिन्दु से राजू फ्रेम सेंटर, बाबा होटल तथा ताज प्रोव्हिजन स्टोर तथा देवी सिंह चौहान के मकान को मिलाते हुए रूकमणी कन्या आश्रम तक.

वार्ड क्रमांक-3 : राजीव नगर वार्ड

दक्षिण : शिवनंदन के मकान से चंदन राम के मकान एवं मिशन अस्पताल को शामिल करते हुए फरसपाल रोड पर स्थित पुल को पार करते हुए फरसपाल एवं जगदलपुर-बैलाडीला रोड मिलान बिन्दु तक.

पश्चिम : शिवनंदन के मकान से रोड के दोनों तरफ स्थित मकानों को शामिल करते हुए, मजूमदार, दशाराम एवं के. के. मालवीय के मकान को मिलाते हुए फरसपाल रोड पर स्थित रेल्वे क्रासिंग से रेल्वे पुल तक.

उत्तर : रेल्वे पुल से भैरमबाबा मंदिर को छोड़ते हुए शंखनी नदी को पार कर शंकरराय के मकान तथा सरकारी देशी शराब की दुकान को लेते हुये मुख्य मार्ग पर स्थित दन्तेश्वरी विकास समिति कार्यालय तक.

पूर्व : दंतेश्वरी विकास समिति कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लेते हुए बस स्टेण्ड काम्पलेक्स को मिलाते हुए फरसपाल एवं जगदलपुर बैलाडीला मार्ग के मिलान बिन्दु तक.

वार्ड क्रमांक-5 : माता दन्तेश्वरी वार्ड

दक्षिण : विनायक महापात्र के मकान से जयस्तंभ के पास स्थित

सी. एम. ओ. ऑफिस को मिलाते हुए मंदिर रोड को पार करते हुए तहसीलदार निवास को छोड़ते हुए अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव के मकान को गेलार्ड टेलर के मकान तक.

पश्चिम : गेलार्ड टेलर के मकान से शंखनी नदी के किनारे दंतेश्वरी मंदिर के पीछे नदी एवं रेल्वे लाईन को पार करते हुए कल्लू राउत के मकान को लेते हुए श्री राजभान सिंह (आर.ई.एस.कॉलोनी) के निवास तक.

उत्तर : राजभान सिंह के निवास से वायरलेस कंट्रोल रूम को शामिल करते हुए उदयराम, राधा एवं शंकर के मकान को लेते हुए महादेव झोड़ी पर बने पुलिया तक.

पूर्व : महादेव झोड़ी गीदम रोड पर स्थित पुल से श्री भगवान के मकान को लेते हुए तथा आर.ई.एस. कॉलोनी के मकानों को लेते हुए रेल्वे क्रासिंग पार करके टुक्कू किराना एवं मेन रोड के किनारे बने सभी मकानों को मिलाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय को लेते हुए पुल पार करते हुए श्री विनायक महापात्र के मकान तक.

वार्ड क्रमांक-6 : लालबहादुर शास्त्री वार्ड

दक्षिण : फारेस्ट डिपो के संपूर्ण दक्षिणी सीमा फैसिंग को लेते हुए जगदलपुर-बैलाडीला मार्ग पर स्थित श्री मनोहर सिंह के मकान तक.

पश्चिम : श्री मनोहर सिंह के मकान से रेल्वे क्रासिंग पार करते एवं टेकनार रोड को पार करते हुए श्री पतिराम प्रसा, संतराम ध्रुव एवं सत्यनारायाण शास्त्री के मकान को लेते हुए महादेव झोंड़ी तक.

उत्तर : महादेव झोड़ी पर बने पुल से हुडको कॉलोनी के संपूर्ण मकानों को मिलाते हुए पाकलूराम एवं उत्तरी फॉरेस्ट डिपो के संपूर्ण क्षेत्र को मिलाते हुए रेल्वे स्टेशन के आखरी छोर तक.

पूर्व : रेल्वे स्टेशन के आखरी छोर से फॉरेस्ट डिपो के दक्षिणी सीमा के अंतिम छोर तक.

वार्ड क्रमांक-7 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

दक्षिण : डंकनी नदी के किनारे से पाण्डे के मकान होते हुए बोटी के मकान तक.

पश्चिम : बोटी के मकान से नदी के किनारे-किनारे बैलाडीला जगदलपुर मार्ग पर स्थित पुल से होते हुए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक बंगला एवं नगर पंचायत कॉलोनी को शामिल करते हुए परदेशी होटल तक.

उत्तर : मुख्य मार्ग पर स्थित परदेशी होटल से रेल्वे स्टेशन जाने वाली रोड के किनारे से बने मकानों को लेते हुए श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान को मिलाते हुए फॉरेस्ट डिपो के दक्षिणी सीमा के फैंसिंग के किनारे-किनारे फॉरेस्ट डिपो को छोड़ते हुए कु. शबनम नेताम के मकान को लेते हुए प्रायमरी स्कूल होते हुए तालाब के किनारे मांझी पदर पुल तक.

पूर्व : मांझीपदर पुलिया से बोटी के मकान तक.

वार्ड क्रमांक-9 : नयापारा वार्ड

दक्षिण : कटेकल्याण रोड पर स्थित देवी सिंह के मकान से प्राथमिक पाठशाला एवं चमररूराम के मकान को लेते हुए पहाड़ी के किनारे से होते हुए बचेली रोड पर स्थित वांगाबाड़ी पुलिया तक.

पश्चिम : नगर पंचायत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के मिलान बिन्दु वांगाबाड़ी पुलिया से बचेली जगदलपुर मार्ग के किनारे स्थित मिश्रा के मकान को शामिल करते हुए छ. रा. वि. मण्डल कार्यालय तक.

उत्तर : छ. रा. वि. मण्डल कार्यालय से होते हुए पहाड़ी के पास स्थित हुंगा के मकान तक.

पूर्व : हुंगा के मकान से कटेकल्याण मार्ग होते हुए देवी सिंह के मकान तक.

उपरोक्त वार्डों के अलावा शेष वार्ड क्रमांक 04, 08, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 की सीमाएं पूर्ववत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.